राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2276/2011/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत–सी,जोधपुर — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स तेज गुलाब इण्डस्ट्रीज
जोधपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः

श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री एस.आर.लूंकड
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 07.09.2015

निर्णय

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–सी, जोधपुर (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स)जोधपुर–प्रथम,वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 143/आरवैट/जेयूसी/09–10 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2011 के विरूद्ध पेश की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के आलोच्य अवधि 1993–94 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.02.2006 को पारित किया ,जिसमें सी फार्म से समर्थित विक्रय राशि रू. 42,83,380/– से सम्बन्धित 'सी' फार्म प्रस्तुति के अभाव में कर एवं ब्याज कुल रू. 2,44,435/– आरोपित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त विक्रय राशि के सम्बन्ध में रू. 32,25,824/–के 'सी'फार्म प्रस्तुत किये गये तथा शेष राशि रू. 10,27,500/–के 'एच' फार्म विक्रय के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 37 के अन्तर्गत मूल कर निर्धारण आदेश को दिनांक 06.10.2007 संशोधित कर पेश किये गये 'सी' फार्म्स को स्वीकार कर तदनुसार मांग में राशि रू.1,87,092/–की कमी की गई। किन्तु पूर्व में घोषित 'सी'फार्म समर्थित विक्रय के सम्बन्ध में 'सी' फार्म के स्थान पर 'एच' फार्म पेश किये गए, उन्हें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधन की परिधि में न होने के कारण अस्वीकार करते हुए शेष मांग यथावत रखी,जिससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.03.2011 पारित कर अपील स्वीकार की है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.03.2011 से असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है ।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.02.2006 को केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया गया एवं अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत दिनांक 06.10.2007 को संशोधित किया गया । उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने मूल कर निर्धारण के समय सी फार्म की सीएसटी बिक्री बताई है तथा कर निर्धारण के समय जो सी फार्म पेश नहीं किये गये उन पर अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अधिनियम की धारा 37 में केन्द्रीय बिक्री के सी फार्म के स्थान पर 'एच' फार्म किये हैं,जिन्हें कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार किया है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने जो प्रपत्र पेश किये हैं वह मूल कर निर्धारण के समय सी फार्म पर अर्थात् अन्तर्राज्जीय बिक्री दिखाई और बाद में एच फार्म पेश किये हैं । उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश विधि के विरूद्ध एवं प्रकरण के तथ्यों के विपरीत है। उनका यह भी कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने जो कर एवं ब्याज रू. 61,343/–को अपास्त किया है वह अवैधानिक एवं गलत है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निर्माता है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का उक्त माल अन्तर्राज्जीय विक्रय सी फार्म से समर्थित होने की दशा में कर मुक्त है। आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा घोषित अन्तर्राज्जीय विक्रय राशि रू. 42,83,380/– के समर्थन में रू. 32,25,824/–के सी फार्म तथा रू. 10,27,500/– के समर्थन में 'सी' फार्म के स्थान पर 'एच' फार्म प्रस्तुत किये । उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने सी फार्म के स्थान प्रस्तुत एच फार्म को अस्वीकार किया गया जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उसमें कर चोरी की कोई मंशा नहीं थी। इसके समर्थन में उन्होंने अपीलीय स्तर पर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का हवाला दिया। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं उक्त न्यायिक दृष्टान्त को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा प्रस्तुत रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में कर एवं ब्याज इस आधार पर आरोपित किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल का विक्रय सी फार्म के समर्थन पर अन्तर्राज्जीय विक्रय किया गया है । प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण

अधिकारी के समक्ष अन्तर्राज्जीय विक्रय के समर्थन में रू. 10,27,500/–के सी फार्म के स्थान पर एच फार्म प्रस्तुत किये हैं,जिन्हें अस्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज आरोपित किया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अधिसूचना संख्या एफ. 4(1)एफडी/टैक्स–डिवीजन/2002–292 दिनांक 30.03.2000 द्वारा पंजीकृत व्यवसाई द्वारा निर्मित स्टेनलेकस स्टील के बर्तनों को अन्तर्राज्जीय व्यापार के तहत विक्रय किये जाने पर कर से मुक्ति प्रदान की थी, इसलिए एच फार्म प्रस्तुत करने पर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज अपास्त किया ।

कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पृष्ठ 22 पर इण्टर स्टेट सेल का जो उपलब्ध दस्तावेज है, उसके अनुसार मैसर्स ब्राइट इण्टरमैट ओनल,मुम्बई को एस.एस. यूटेनसिल का रू. 10,27,500/– का विक्रय किया गया है,जिसके सम्बन्ध में एच फार्म प्रस्तुत किये गये हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निर्माण किया जाकर अन्तर्राज्जीय विक्रय किया गया है, यह कथन किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने घोषणा पत्र एच अस्वीकृत करने से पूर्व यह सिद्ध नही किया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त विक्रय अन्तर्राज्जीय व्यापार के अनुक्रम में नही किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली ऐसे दस्तावेजीय साक्ष्य उपलब्ध है, जिनसे यह प्रमाण्ति होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त विक्रय अन्तर्राज्जीय व्यापार के तहत किया गया है। उक्त तथ्यों के प्रकाश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एच फार्म को अस्वीकृत करते हुए कर एवं ब्याज का आरोपण करना विधिक नहीं है। प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्येां के आलोक में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य